International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 178-180

गैर–जनजातीय समाज का जनजातीय समाज के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव

डॉ0 सुनीता बघेल

एम0 पी0 सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
गैर–जनजातीय समाज जनजातीय समाज के ज्ञानात्मक बोध के विस्तार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन रहा है। गैर–जनजातीय के सम्पर्क में आने से जनजातीय समाज के रहन–सहन, खान–पान, पहनावा में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही इसके द्वारा वह विजातीय संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भिन्नता, जीवन शैली के अन्तर परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से भी अवगत होता है।

मूल शब्दः गैर–जनजातीय समाज, जनजातीय समाज, परिवर्तन और विकास।

प्रस्तावना

गैर–जनजातीय समाज जनजातीय समाज के ज्ञानात्मक बोध के विस्तार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन रहा है। गैर–जनजातीय के सम्पर्क में आने से जनजातीय समाज के रहन–सहन, खान–पान, पहनावा में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही इसके द्वारा वह विजातीय संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भिन्नता, जीवन शैली के अन्तर परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से भी अवगत होता है।

सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, बस–स्टेण्ड, हाट–बजार, स्कूल, सार्वजनिक हैण्डपम्प का उपयोग करना इत्यादि स्थानों पर एक–दूसरे के सम्पर्क में आने से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मूल्यों पर प्रभाव पढ़ रहा है। इस संदर्भ में जनजाति समाज के उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी क्रमांक 01 में वर्गीकृत किया गया है।

भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाएँ हैं। इन्हीं समुदायों में से एक है जनजातीय समुदाय, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है। इस आदिवासी समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग नामों की संज्ञा दी है। मार्टिन एवं रिजले ने इन्हें 'आदिवासी' हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियाँ' सर वेन्स ने इन्हें 'पर्वतीय आदिम जातियाँ' या वन्य जातियाँ घुरिये ने इन्हें 'पिछड़े हुए हिन्दु' तथा वनों में रहने के कारण गाँधीजी ने इन्हें 'गिरिजन' के नाम से पुकारा है। भारतीय संविधान में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से सूचीबद्ध किया गया है (पालोत, आर. सी. 1987: 1)।

यह समुदाय प्रारम्भ से ही जंगलों, पहाड़ों एवं दूर–दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, अशिक्षा तथा शोषण का शिकार, कृषि, उद्योग–धंधों आदि से अनभिज्ञ रहा है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है। यह समुदाय अपने सीमित संसाधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सका है और आज भी 21वीं शताब्दी की विज्ञानवादी सभ्यता की पहुँच इनसे काफी दूर है (गुप्ता, 2003: 1–4)।

अध्ययन हेतु समग्र के रूप में मध्यप्रदेष राज्य के बालाघाट जिले का चयन किया गया है। बालाघाट जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है जिसमें तीन विकासखण्ड बैहर, बिरसा, एवं परसवाडा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं अध्ययन हेतु सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य दो विकासखण्ड, बैहर तथा बिरसा को चयनित किया गया है। यहाँ जनजातीय विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अनेक कार्य सरकारी एवं गैर–सरकारी तौर पर किया जा रहा हैं जिससे जनजातीय समाज में आये परिर्वतनों का अध्ययन, की महती आवश्यकता है। इन चयनित दो विकासखण्डों से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पांच–पांच ग्राम चयनित किये गये। इस प्रकार दो विकासखण्डों में से कुल 10 ग्राम को अध्ययन हेतु चुना गया। प्रत्यके ग्राम से 18 जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं 6 गैर–जनजातीय ग्राम सभा सदस्यों को यादृच्छिक आधार पर चयनित किया गया। इस प्रकार 10 ग्रामों से 180 जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं 60 गैर–जनजातीय ग्रामसभा सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अतः निदर्षन का कुल आकार 240 है।

अध्ययन में विषय से सम्बंधित द्वितीयक तथ्यों से भी संकलन किया किया गया। इस हेतु विषय से सम्बंधित पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, पुस्तकें, जर्नल्स, समाचार–पत्र, अध्यादेश, अधिनियम, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रकाशित/अप्रकाशित अभिलेखों, रिपोर्टों, विवरणिकाओं आदि से तथ्य संग्रहीत किए गये।

अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। बालाघाट जिला $21^{0}9$ से $22^{0}24$ उत्तरी अक्षांश तथा $79^{0}31$ से $81^{0}03$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बालाघाट जिले की सीमा दो राज्यों को छूती है। दक्षिण में यह महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा एवं नागपुर जिले से मिलती है जबकि पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) जिले से मिलती है। पश्चिम में सिवनी जिला तथा उत्तर में मंडला जिला इसकी सीमाओं को छूता है। बालाघाट जिले का कुल क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बालाघाट जिला 8 तहसीलों, 10 विकासखण्डों एवं 629 ग्राम पंचायतों में विभाजित है।

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 17,01,698 है। जिसमें जनजातियों की जनसंख्या 3,83,026 है जो कुल जनसंख्या का 22.5 प्रतिशत है। बालाघाट जिले की साक्षरता 77.1 प्रतिशत है जिसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 85.4 व 69.0 है। जबकि जिले में जनजातियों की साक्षरता 67 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष 37 प्रतिशत एवं महिला 31 प्रतिशत है।

सारणी 1: गैर–जनजातीय समाज के सम्पर्क ने राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया

क्र. सं.	गैर–जनजातीय समाज के सम्पर्क ने राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है?	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
1	राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है।	168 (93.3)	51 (85.0)
2	राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है।	171 (95.0)	56 (93.3)
3	मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है।	170 (94.4)	57 (95.0)
4	दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है।	176 (97.7)	40 (66.6)
5	मतदान का आधार प्रत्याशी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है।	171 (95.0)	34 (56.6)
6	राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए हैं।	170 (94.4)	56 (93.3)

सारणी क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि में 93.3 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना है कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है, समान रूप से 95.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया, वृद्धि हुई एवं मतदान का आधार प्रत्याषी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है। 94.4 प्रतिशत उत्तरदाता समान रूप से मानना है कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से मतदान व्यवहार में परिवर्तन एवं राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए हैं। 97.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गैर–जनजातीयों का हमारे संपर्क में आने से दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है। तथा 94.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से हम लोग परिचित हुए हैं।

जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना हैं कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने सें उनके दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है एवं मतदान व्यवहार में परिवर्तन भी आया है।

जबकि 85.0 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना है कि जनजातीय समाज हमारे संपर्क में आने से उनमें राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी है, 93.3 प्रतिशत उत्तरदाता समान रूप से मानते है कि हमारे संपर्क में आने से राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव एवं राजनीतिक दबाव की तकनीकों के प्रयोग से परिचित हुए है, 95.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जनजातीय समाज हमारे संपर्क में आने से उनके मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है, 66.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जनजातीयों का हमारे संपर्क में आने से उनके दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है। 56.6 प्रतिशत का मानना है कि मतदान का आधार प्रत्याषी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है। स्पष्ट है कि जनजातीय समाज का गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से उनके राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हैं। उनकी राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी हैं एवं मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष

गैर–जनजातीय समाज जनजातीय समाज के ज्ञानात्मक बोध के विस्तार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन रहा है। गैर–जनजातीय के सम्पर्क में आने से जनजातीय समाज के रहन–सहन, खान–पान, पहनावा में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही इसके द्वारा वह विजातीय संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भिन्नता, जीवन शैली के अन्तर परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से भी अवगत होता है। बहुसंख्यक उत्तरदाताओं का मानना है कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया, वृद्धि हुई एवं मतदान का आधार प्रत्याषी और कार्यक्रम की जगह राजनीतिक दल बन गया है। जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना हैं कि गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने सें उनके दलीय निष्ठा में परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक रैली/सभा में भागीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आया/वृद्धि हुई है एवं मतदान व्यवहार में परिवर्तन भी आया है। जनजातीय समाज का गैर–जनजातीय समाज के संपर्क में आने से उनके राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हैं। उनकी राजनीतिक अभिरुचि बढ़ी हैं एवं मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है।

सुझाव

जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

- जनजातीय समाज को शिक्षित बनाते हुए, उन्हे योजना के कार्यक्रमों एवं प्रावधानों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस हेतु जनजातीय ग्रामों में जन–शिक्षण के कार्यक्रम, जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अन्य प्रचार के माध्यमों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
- विकास योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए। इस सन्दर्भ में साप्ताहिक/दैनिक बाजारों, हाटों, सड़क के किनारे, चौराहे तथा ग्राम सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग को जोड़ा जाए एवं उन्हे कोई व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता की जाए इससे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन में सुधार भी होगा तथा उनके जीवन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
- जनजातीय क्षेत्रो में पंचायत प्रतिनिधियों को शासन द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण षिविर लगाए जाए।
- जनजातीय ग्राम में ऐसा अभिकरण (कार्यालय) स्थापित किया जाए जिससे ग्राम वासियों को रोजमर्रा की सूचनाएँ प्राप्त हो एवं समस्याओं का निदान किया जा सके और उन्हें सूचना के अधिकारों के प्रति जाग्रत किया जाए।
- जनजातीय क्षेत्रों में टेलीविजन पर अधिक से अधिक समाचार चैनलों का प्रसारण किया जाए जिससे जनजातीय समुदाय में राजनीतिक सजगता को बढ़ावा मिले।
- गैर–सरकारी संगठनों को कार्यो के चयन तथा क्रियान्वयन में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाते हुए अधिकांश लोगों की सहमति से कार्य करना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय की भागीदारी बढ़ सके।
- शिक्षण संस्थायें राजनीतिक समाजीकरण में सही भूमिका निभा सके इसलिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पहुँच उन तक हो जिससे राजनीतिक समाजीकरण के आधारभूत अभिकरणों के रूप में सही भूमिका निभा सके।
- जन–संचार के माध्यम अत्यधिक सीधे रास्ते से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए की संचार माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण

रखकर इनकी सहायता से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियाँ को प्रोत्साहित किया जाए।

संक्षेप में जनजातीय समाज में राजीनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, संचार के साधन, रानीतिक दल, गैर–सरकारी संगठन, सरकार की अन्य योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। तथापि जनजातीय क्षेत्रों में इन साधनों का प्रभाव व जन–सहभागिता में कमी एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यामान रहा है। अतः यह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर जनजातीय समुदाय को उचित अवसर प्राप्त हो तभी इस समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती हैं।

संदर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 178–186।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा पृ. 108–115।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ. 1–4।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मैकलेण्ड, जे एम (1967): मासा मीडिया एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पेपर प्रेसेन्टेड एट द एसोसिएशन फॉर एज्यूकेशन इन जर्नलिज्म, बोल्डर पृ. 78–80।
8. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर, पृ. 54–55।
9. मिश्रा, राजीव (2008): वालेन्टरी सेक्टर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 50–60।
10. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5 पृ. 1–9।
11. पालोत, आर सी (1987): राजस्थान की वनविहारी जनजातियॉ, नीलकमल ब्रदर्स, डूंगरपुर पृ. 1।
12. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
13. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. 85–86।
14. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6–14।
15. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. 6–16।
16. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 34।
17. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 100–112।
18. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति पृ. 8–13।
19. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,भोपाल पृ. 200।
20. राकेश, भट्ट (1995): जनजातीय उद्यमिता का विकास, हिमांशु पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 8–13।
21. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. 2–4।
22. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, काउन पब्लिकेशन्स राची पृ. 193।
23. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 7–16।